मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

/// आ दे श ///

क्रमांक 45/461/2009/डी. एम. सी/चार भोपाल दिनांक 06 /01/2010

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

विषय : - राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली गारंटी पर फीस लेने बाबत्।

संदर्भ : - मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 170-ए/सी. ए. एस./05/चार दिनांक 31/03/2005।

राज्य शासन द्वारा सांविधिक निगमों / मण्डलों, सहकारी संस्थाओं आदि के पक्ष में बैंक, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु गारंटी दी जाने पर शुल्क प्राप्त किया जाता है।

2/ गारंटी शुल्क के संदर्भित उपरोक्त आदेश को निरस्त करते हुये, शासन द्वारा दी जाने वाली गारंटी की राशि पर सभी संस्थाओं से निम्नानुसार एकमुश्त गारंटी फीस का निर्णय लिया गया है : -

(अ) एक वर्ष की गारंटी पर	1 प्रतिशत
(ब) एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष तक की गारंटी पर	2.5 प्रतिशत
(स) तीन वर्ष से अधिक किन्तु पॉच वर्ष तक की गारंटी पर	4 प्रतिशत
(द) पॉच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष तक की गारंटी पर	7.5 प्रतिशत
(ई) दस वर्ष से अधिक की गारंटी पर	10 प्रतिशत

उक्त गारंटी फीस, गारंटी देते समय जमा कराई जावेगी। यदि कोई संस्था एक मुश्त राशि नहीं देना चाहती है तो उससे 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी फीस का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु एस्क्रो एकाउण्ट खोलना होगा।

3/ गारंटी फीस को शासकीय लेखे में मुख्यशीर्ष 0075-अन्य प्रशासनिक सेवायें {108}-गारंटी फीस के अन्तर्गत जमा किया जावेगा।

4/ गारंटी फीस नियमानुसार लेखे में जमा कराने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

5/ उपरोक्त निर्णय आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
संचालक बजट एवं अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पष्ठांकन क्रमांक 46/461/2009/डी. एम. सी/चार भोपाल दिनांक 06 /01/2010

(2) महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर / भोपाल

(अजय चौबे)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

शाकेमुभो—1555—असविविभो—12-10-500.